सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 389 दर्ज तिथिः—02.09.2024

1. डुंगराराम पुत्र कौलाराम
2. रिड़मलराम पुत्र कौलाराम
   जाति जाट निवासी कुड़ा तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. उम्मेद पुत्र रूपाराम
2. गजा पुत्र रूपाराम
3. भंवरा पुत्र रूपाराम
4. वजा पुत्र रूपाराम
5. प्रहलाद पुत्र तेजा
6. बाबू पुत्र तेजा
   जाति मेगवाल निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः—श्री रामजीवन विश्नोई

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188,209
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—188, 209 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी वक्त सेटलमेंट से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठों एवं उक्त नेखम को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद विधिवत तामिल जरिये असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। दोनों पक्षों द्वारा गवाह एवं दस्तावेज स्वरूप कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

3. प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्तागण से बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के कथनों को दौहराते हुए वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस अधिवक्त प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण अपनी भूमि के वास्तविक रकबे से अधिक रकबे पर काबिज हैं। प्रतिवादीगण की अपनी आराजी के चारों ओर तारबंदी की हुई है। साथ ही वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की आराजी में अनाधिकृत प्रवेश करने का प्रयास किया गया। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण वादीगण का उक्त वाद काबिल—ए—खारिज है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

	अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

	हेतु आवश्यक हो।	66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजीपर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428 है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहींकरने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 389 दर्ज तिथिः—02.09.2024

1. डुंगराराम पुत्र कौलाराम
2. रिड़मलराम पुत्र कौलाराम
   जाति जाट निवासी कुड़ा तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. उम्मेद पुत्र रूपाराम
2. गजा पुत्र रूपाराम
3. भंवरा पुत्र रूपाराम
4. वजा पुत्र रूपाराम
5. प्रहलाद पुत्र तेजा
6. बाबू पुत्र तेजा
   जाति मेगवाल निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः—श्री रामजीवन विश्नोई

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188,209
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/0.6880 है0, 56/6/7.0335 है0, 61/36/1.4731 है0, 62/36/0.2428

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

है0, 66/2/0.3156 है0 मौजा कुड़ा तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहींकरने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested